

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शंकर पिता छीतर विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी नया समेलिया, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता गोवर्धन विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी नया समेलिया, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. सुरेश पिता तुलसीराम विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी नया समेलिया, तह० एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी लाल पिता शंकर जी विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल मुकाम जवाहर नगर, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. दयाल पिता शंकर जी विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. चुन्नी लाल पिता भौला जी विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. प्यारचंद पिता भौला जी विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. लादु लाल पिता गुलाब जी विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
6. जगदीश पिता गुलाब जी विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
7. भैरूलाल पिता हरकलाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल मुकाम जवाहर नगर, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
8. देबी लाल पिता हरकलाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल मुकाम जवाहर नगर, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
9. मांगीलाल पिता प्यारचन्द विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
10. श्याम लाल पिता प्यारचन्द विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
11. प्रहलाद पिता चुन्नी लाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
12. भंवर लाल पिता चुन्नी लाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा

26/3/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

13. रतन लाल पिता चुन्नी लाल विश्नोई जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा,
तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**दावा: अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 26/2020 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख
26.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है,
जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण
वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम
हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


26/3/2025
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

26/2/20

शंकर उन्नाव लक्ष्मीलाल वर्मा

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

188 RTA

मध्य व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

पत्रावली पेशा हुई। वादीगण एवं वादी अधिकारता
अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी अधिकारता को
निपटानुसार तीन बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु
कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी अधिकारता
के उपस्थित नहीं आने से न्यायाधीश ने पुनः एकबार
आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। वादीगण एवं वादी अधिकारता के न्यायालय
में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा
उत्पन्न वाद अनसर्जित धारा 188 व्यवधान कार्तकारी
आदेशिपत्र को अदम जारी। अदम जारी में जारी
किल धारा 187 निषेध करे इजलास सुनाया गया।
उक्ति पचासी जारी हो।

पत्रावली माल शुमार लेकर

जाखिल रफ्तार हो नया नम्बर ले कम हो।

26/3/2025
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा